राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम

स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी (एस.पी.वी.) मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा

क्रमांकः– एफ( ) जि.उ.के.बांस. / क्ल.सी.एफ.सी. / 2011–12 / 2224–28 दिनांकः–26.12.11

निविदा सूचना

मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा में स्थित सी.एफ.सी. भवन के लिए मुर्तिकला उद्योग से सम्बन्धित मशीनों / उपकरणों के क्रय एवं स्थापना हेतु उनके उत्पादको / डीलर्स / वितरको से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मशीनो की सूची व शर्ते जिला उद्योग केन्द्र अम्बेडकर सर्कल बांसवाडा कार्यालय से रूपये 400 / – नगद (नान रिफण्डेबल) देकर दिनांक 30.1.2012 प्रातः 10.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। वान्छित मशीनों की अनुमानित लागत 15.00 लाख रू. हो सकती है । निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में टेक्नीकल एवं वित्तीय बिड उसी दिन दोपहर 12.00 बजे तक अर्नेस्टमनी राशि 30,000 / – तक के डी.डी. के साथ प्रेषित कर सकते है प्राप्त निविदाओं की टेक्नीकल बिड उसी दिन अपरान्ह 1.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी एवं टेक्नीकल बिड में सफल निविदाताओं की वित्तीय बिड 4.30 पी.एम. पर जिला उद्योग केन्द्र अम्बडेकर सर्कल बांसवाडा कार्यालय में खोली जावेगी। मशीनों / उपकरणों के नाम निविदा का प्रारूप, शर्ते एवं अन्य विवरण उद्योग विभाग की वेबसाइट www. rajind. rajasthan.gov.in एवं www. rajcluster. com. पर देखी जा सकती है।

अध्यक्ष
स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी
(एस.पी.वी.) मुर्तिकला क्लस्टर
तलवाडा बांसवाडा

जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा अन्तर्गत
स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी (SPV) मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा जिला बांसवाड़ा
मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा हेतु मशीनों, उपकरणों के कय एंव स्थापना हेतु निविदा

निविदा प्रारूप
(देखिये नियम 68)

1. मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा हेतु मशीनों / उपकरणों .... के लिये निविदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता मय मोबाईल / बेसिक दुरभाष नम्बर

3. संदर्भ

4. निविदा शुल्क की राशि रूपया 400 / – रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गयी है।

5. हम निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)

6. सामग्री कयादेश में वर्णित अवधि में मुर्तिकला क्लस्टर भवन (सी.एफ.सी) तलवाडा जिला बांसवाडा सप्लाई कर स्थापित कर दी जायेगी।

7. हमारे द्वारा प्रस्तुत दरे निविदा खोलने की तिथि से 3 माह तक वैध रहेगी।

8. अध्यक्ष स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी तलवाडा जिला बांसवाडा के नाम बैंक ड्राफ्ट नं. .... दिनांक .... राशि .... जो .... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है / नगद राशि रूपया .... रसीद संख्या .... दिनांक .... बयाना राशि पेटे संलग्न किया जाता है।

9. इसके साथ बिक्रीकर / वेट पंजीयन एवं बिक्रीकर / वेट चुकती का नवीनतम प्रमाण पत्र (जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं है) प्रस्तुत किये जाते है।

10. मशीनों / उपकरणों में विनिर्माता / अधिकृत डीलर / अधिकृत थोक विक्रेता / अधिकृत डीलर आदि का घोषणा पत्र एवं प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाता है।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता द्वारा घोषणा (एम.आर 11)

मै / हम घोषणा करता हूं / करते है कि मैने / हमने जिन मालो / मशीनों / उपकरणो के लिये निविदा दी है, उनका / उनके मै / हम बोनाफाईड विनिर्माता / थोक विक्रेता / सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल सैलिंग / विपणन एजेन्ट हूं / है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाल, बिना मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समयहत (फोरफीट) कर लिया जायेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रहकर किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा अन्तर्गत
स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी (SPV) मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा जिला बांसवाड़ा

मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा हेतु मशीनों, उपकरणों के क्रय एंव स्थापना हेतु निविदा

तकनीकी बीड का प्रारूप

1	इकाई का नाम	
2	बयाना राशि रू. 30,000/–	डीडी नं .... दिनांक ....राशि रू .... बैंक में देय है/नगद राशि रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा जमा।
3	बिक्रीकर/वेट पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति	प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... जो .... अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, संलग्न है।
4	बिक्रीकर/वेट चुकती प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो	प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... जो .... अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, संलग्न है।
5	विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता/अधिकृत डीलर इत्यादि होने का प्रमाण पत्र	कम्पनी .... द्वारा जारी अधिकृत विक्रेता/ डीलर द्वारा प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... की प्रति साथ में संलग्न है।
6	मशीनो/उपकरणों की वारंटी अवधि	

हस्ताक्षर निविदादाता

जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा अन्तर्गत

स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी (SPV) मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा जिला बांसवाड़ा

मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा हेतु मशीनों, उपकरणों के क्रय एंव स्थापना हेतु निविदा

वित्तीय बीड (निविदा) का प्रारूप

फर्म का नाम : ....

क्र सं.	नाम मशीन/उपकरण	स्पेसिफिकेशन	मात्रा	दर For तलवाडा	शुद्ध मूल्य (अंको एवं शब्दो में पैकिंग, कार्टेज, परिवहन, बीमा इत्यादि सहित)	RST, CST Exciose duty व अन्य टेक्स अलगेस दर्शाया जाये	छुट यदि कोई हो
1	2			3	4	5	6
1	Lathe Machine	10' x13" spindle bore 54 mm with centre height over bed 12" fitted with motor gear box and all electrical accessories accessories	1				
2	Lathe Machine	8'x10" with center height over bed 8" spindle bore 40 mm with gear box fitted with motor & electrical accessories	1				
3	Micro Die grinders	Different sizes (Pneumatic)	5				
4	Hand Cutters	4" & 5 " wheels					
		4"	2				
		5"	3				
5	Angle Grinder		2				
6	Edge cutting machine	Self fabricated, cutter size 14' cast iron body and with trolly 7'x3'	1				
7	Chain cuppy Sets		3				
8	Hand Drills	20 mm and 13 mm,. 240 volts					
		13 mm	4				
		20 mm	2				
9	Pillar type radial		1				
	Drill machine						
10	Power Hack Saw.	For cutting of Parewa stone	1				
11	Hand Grinders	2" & 4"					
		2"	4				
		4"	4				
12	Air Drill machine	22000 RPM	2				
13	Air compressor	3 HP Motor, 100 ltr. tank capacity	1				
14	Diesel Gen. Set	15 KVA	1				
15	Bench Grinders	0.75 HP Motor 280 RPM	1				
16	Hammer	150 mm	1				
17	Misc. Hand Tools	Lumpsum					
18	Installation charges						
	Add Vat						
	Total						

हस्ताक्षर निविदादाता

जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा अन्तर्गत

स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी (SPV) मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा जिला बांसवाड़ा

मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा हेतु मशीनों/ उपकरणों के क्रय एंव स्थापना हेतु जारी

निविदा में क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची

कं सं.	नाम मशीन/उपकरण	स्पेसिफिकेशन	मात्रा
1	2		
1	Lathe Machine	10' x13" spindle bore 54 mm with centre height over bed 12" fitted with motor gear box and all electrical	1
		accessories	
2	Lathe Machine	8'x10" with center height over bed 8" spindle bore 40 mm with gear box fitted with electrical accessories	1
3	Micro Die grinders	Different sizes (Pneumatic)	5
4	Hand Cutters	4" & 5 " wheels	
		4"	2
		5"	3
5	Angle Grinder		2
6	Edge cutting machine	Self fabricated, cutter size 14' cast iron body and with trolly 7'x3'	1
7	Chain cuppy Sets		3
8	Hand Drills	20 mm and 13 mm,. 240 volts	
		13 mm	4
		20 mm	2
9	Pillar type radial		1
	Drill machine		
10	Power Hack Saw.	For cutting of Parewa stone	1
11	Hand Grinders	2" & 4"	
		2"	4
		4"	4
12	Air Drill machine	22000 RPM	2
13	Air compressor	3 HP Motor, 100 ltr. tank capacity	1
14	Diesel Gen. Set	15 KVA	1
15	Bench Grinders	0.75 HP Motor 280 RPM	1
16	Hammer	150 mm	1
17	Misc. Hand Tools	Lumpsum	
18	Installation charges		
	Add Vat		

अध्यक्ष

स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी

मुर्तिकला क्लस्टर तलवाड़ा

जिला बांसवाड़ा (राज.)

<u>जिला उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा अन्तर्गत</u>

<u>स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी (SPV) मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा जिला बांसवाड़ा</u>

<u>मुर्तिकला क्लस्टर तलवाडा हेतु मशीनों/ उपकरणों के क्रय एवं स्थापना हेतु जारी</u>

<u>खुली निविदा हेतु निविदा तथा ठेके की शर्ते (देखिए नियम 68)</u>

1. निविदाओं को निर्देशानुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।

   निविदा में दो लिफाफा पद्धति अपनाई गई है। इस हेतु निविदा के साथ तीन लिफाफे दिये जायेंगे। एक लिफाफा तकनीकी बीड का दुसरा वित्तीय बीड का व दोनो में नीचे अंकित पत्र रखने के बाद सीलबंद कर तीसरे लिफाफे में रखकर उसे भी सील बन्द कर निविदा प्रस्तुत की जायेगी।

<u>तकनीकी बीड :–</u>

(अ) लिफाफे पर फर्म का नाम, निविदा का आईटम, तकनीकी बीड खोलने की दिनांक इत्यादि लिखना होगा।

(ब) इस लिफाफे में बयाना राशि का डीडी, सेलटेक्स/वेट पंजीकरण का प्रमाण पत्र, सेलटेक्स/वेट क्लियरेन्स का नवीनतम प्रमाण पत्र (जो 6 माह से अधिक पुराना न हो) व विनिर्माता/कम्पनी के अधिकृत विक्रेता/अधिकृत डीलर होने के प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है।

(स) निविदा प्रारूप मय निविदादाता द्वारा घोषणा (एस.आर–II) तकनीकी बीड का विभाग द्वारा दिया गया प्रारूप भरकर रखना है। इसके साथ मशीनों/उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, उसका केटलोग, उसके संचालन के मापदण्ड, एवं वारन्टी पत्र लगाना है।

<u>वित्तीय बीड :–</u>

(अ) लिफाफे पर फर्म का नाम, निविदा का आईटम, वित्तीय बीड खोलने की दिनांक इत्यादि लिखना होगा।

(ब) लिफाफे में विभाग द्वारा दिये गये वित्तीय बीड के प्रारूप में आईटम वाईज दरे एवं शुद्ध मूल्य अंको एवं शब्दो में लिखना होगा। दरे मशीने/उपकरणों के सप्लाई एवं स्थापना एफओआर मुर्तिकला क्लस्टर भवन तलवाडा के अनुसार देवे। दरो में समस्त प्रकार के चार्जेज यथा परिवहन, पैकिंग चार्ज, बीमा इत्यादि सम्मिलित कर देनी है। इसके अलावा राजकीय/विभागीय करो यथा एम्साइज ड्युटि, सीएसटी, आरएसटी इत्यादि अलग से दर्शानी है।

दरो में किसी प्रकार की कटिंग/ऑवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। अत्यावश्यक मामलो में सप्लायर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा कटिंग प्रमाणित होने पर मान्य की जायेगी।

नोट :– उक्त पत्रों में निर्धारित लिफाफो में प्रस्तुत नहीं करने पर या तकनीकी बीड के साथ वित्तीय बीड लगाने पर फर्म की निविदायें निरस्त कर दी जायेगी।

2. **वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाऐं** – निविदायें केवल मशीनों/उपकरणों के विनिर्माताओं या उनके अधिकृत थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोलसेलिंग विपणन एजेन्ट द्वारा ही दी जानी है। इस हेतु एस.आर–II में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

(3) **वैट कर रजिस्ट्रीकरण और समाशोधन प्रमाण–पत्र :–**

कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है, प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, निविदा प्रस्तुत नहीं करेगा। रजिस्ट्रीकरण संख्यांक वर्णित किया जाना चाहिए और सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके बिना निविदा अस्वीकृत किये जाने हेतु दायी होगी।

(4) निविदा प्रारूप स्याही से भरे जायेंगे अथवा टंकित होंगे। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अंत में, निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तो की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।

(5) दरों को शब्दो और अंको, दोनो में ही लिखा जायेगा। गलतियां तथा/अथवा लिप्त लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हो तो उन्हे स्पष्ट रूप से किया जाऐ और उन पर तारीख सहित अद्याक्षर किये जाये दरो में राजस्थान बिक्री कर के और केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किये जाने चाहिए।

(6) वर्णित की गयी समस्त दरे गंतव्य रेल पर्यन्त निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर के सिवाय, समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए जिन्हे अलग से दर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदाय के मामले में, दरो में समस्त कर आदि सम्मिलित होने चाहिए और सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार संदत नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर सीएफसी भवन तलवाडा पर किया जाएगा। क्रय किया जाने वाला माल कार्यालय उपयोग हेतु होता है, अतः चुंगी संदेय नहीं होगी। फलस्वरूप दरों में चुंगी और स्थानीय कर सम्मिलित नहीं होने चाहिए। यदि क्रय किया जाने वाला माल पुनः बिक्री हेतु हो या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के लिये

प्रयुक्त किया जाए तो दरो में चुंगी और स्थानीय कर सम्मिलित होंगे। पूर्ववर्ती मामले में क्रय आदेश के साथ विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) **(1) दरो की तुलना :–** राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मो द्वारा जो नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है, निविदत्त दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर का घटक अपवर्जित कर दिया जायेगा और केन्द्रीय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।

(8) राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध में तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।

(9) **मूल्य अधिमान** – मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विर्निर्मित मालो पर या राजस्थान के बाहर उद्योगो द्वारा उत्पादित या विर्निर्मित मालो की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगो की अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार दी जाएगी।

(10) **विधि मान्यता :–** निविदाऐं, निविदा खोले जाने की दिनांक से 3 मास की कालावधि हेतु विधि मान्य होगी।

(11) विनिर्देश :–

(1) प्रदाय की गयी समस्त वस्तुऐं निविदा प्रारूप में अभिकथित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के अनुरूप होगी तथा कही वस्तुऐं आई.एस.आई विनिर्देशो के अनुरूप होना अपेक्षित हो। वे वस्तुऐं उन्ही विनिर्देशो के अनुरूप ही होगी और उन पर ऐसा मार्क होना ही चाहिए।

(2) सामग्री के मामले में, जिनका कोई मानक या अनुमोदित नमूना नहीं है, प्रदाय सर्वोत्तम क्वालिटी और विपणन का होगा। इस सम्बन्ध में कि प्रदायित वस्तुऐं विनिर्देशो के अनुरूप है तथा नमूनों के, यदि कोई हो, के अनुसार है, क्रय अधिकारी/क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा और निविदादाता पर आबद्ध कर होगा।

(3) वारंटी/गारंटी – निविदादाता इस सम्बन्ध में गारंटी देगा कि क्रय किये जाने वाले माल/भण्डार/वस्तुओं के परिदान की तारीख न्यूनतम 1 वर्ष की कालावधि हेतु माल/भण्डार/वस्तुऐं विनिर्दिष्ट किये गये के अनुसार विवरण और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेगी और इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता ने उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं का निरीक्षण तथा/अथवा/अनुमोदन कर लिया है, यदि उपर्युक्त एक वर्ष की कालावधि के दौरान उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं के संबन्ध में यह पाया जाये कि वे उपर्युक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप नहीं है या ऐसी अवधारित की गयी है। (और उस सम्बन्ध में क्रय अधिकारी का निर्णय अन्तिम और

निर्णायक होगा) तो क्रेता उक्त माल/भण्डार/वस्तुओं को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे उक्त विवरण और क्वालिटी के अनुरूप न पाया जाये अस्वीकृत करने का हकदार होगा। ऐसी अस्वीकृति पर माल विक्रेता की जोखम पर होगा और माल की अस्वीकृति आदि से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता यदि उससे ऐसा करने को कहा जाये तो माल आदि को या उसके ऐसे किसी भाग को जिसे क्रय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रतिस्थापित करेगा अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसान का संदाय करेगा जो इसमें समाविष्ट शर्त के भंग के कारण उत्पन्न हो। इस संविदा के अधीन या अन्यथा रूप में क्रय अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर इसमें समाविष्ट कोई बात प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) मशीनरी तथा उपस्करो के मामले में भी उपयुक्त खण्ड (III) में वर्णित गारंटी दी जायेगी और निविदादाता गारन्टी कालावाधि के दौरान उन पूर्जो यदि कोई हो को बदलेगा तथा किसी विनिर्माण दोष को दुर करेगा। यदि उपर्युक्त कालावधि के दौरान उसका पता लगे जिससे कि मशीनरी और उपस्कर सक्रिय रहे। निविदादाता मशीनरी को तथा उपस्करो को बदलेगा, यदि वे दोषपूर्ण पाएं जाएं और उन्हे विनिर्माण दोष आदि के कारण संचलित नहीं रखा जा सकता।

(5) क्रय अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी मशीनरी तथा उपस्करो के मामले में निविदादाता उन निबंधनों और शर्तो पर, जिन पर सहमति हो गयी हो, वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होगा। निविदादाता मशीनरी और उपस्करो के विनिर्दिष्ट प्रकार हेतु अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जो के पर्याप्त नियमित प्रदाय हेतु भी दायी होगा चाहे वे वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत की दर संविदा के अधीन हो या अन्यथा रूप से। मॉडल में परिवर्तन की दशा में वह क्रय अधिकारी को पर्याप्त नोटिस देगा जो उत्कृष्ट दशा में मशीनरी तथा उपस्कर के अनुरक्षण हेतु उनसे अतिरिक्त पुर्जे खरीदना चाहे।

(12) **परीक्षण व्यय :–** परीक्षण व्यय का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा।

(13) अस्वीकृत किया जाना :–

(1) निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उन्हे क्रय अधिकारी द्वारा नियत किये जये समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

(2) तथापि, यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करके

अनुमोदित दरो से उपयुक्त रकम की कटौति कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौति अंतिम होगी।

(14) अस्वीकृति की सूचना के 15 दिनो के भीतर, अस्वीकृत वस्तुऐं निविदादाता द्वारा हटा दी जाएगी, उसके पश्चात् क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हांनि हेतु दायी नहीं होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वह उपयुक्त समझे।

(15) निविदादाता इस बात हेतु दायी होगा कि वह समुचित पैकिंग करे, जिससे की समुद्रं, रेल या सडक या वायु द्वारा परिवहन की सामान्य स्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गन्तव्य पर परेषिति को अच्छी दशा में सामग्री का परिदान हो सके। किसी हांनि, नुकसान, टुट फुट, या लीकेज या किसी कमी की स्थिति में निविदादाता, परेषिति द्वारा सामग्री के किये गये परीक्षण/निरीक्षण में पायी गयी किसी ऐसी हांनि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण से कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(16)

(1) परिदान कालावधि :– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर निम्नानुसार प्रदाय हेतु व्यवस्था करेगा।

(2) यदि क्रय अधिकारी निविदत्त वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्रारूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

(17) अग्रिम राशि :–

(क) निविदा के साथ रू. 30,000/–की अग्रिम राशि संलग्न होगी, जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। रकम अध्यक्ष स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी तलवाडा जिला बासंवाडा के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा कराई जानी है।

(ख) अग्रिम राशि की वापसी :– विफल निविदादाता की अग्रिम राशि निविदा की अन्तिम स्वीकृति के तुरन्त पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

(ग) बयाना राशि से छुट :– उन फर्मो को जो निदेशक , उद्योग विभाग , राजस्थान के पास पंजीकृत है , उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है , उनके द्वारा मुल पंजीयन प्रमाण पत्र या

उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर , निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.50 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्रीय सरकार के तथा राजस्थान सरकार के उपक्रमों को अग्रिम राशि की रकम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

(18) **अग्रिम राशि का समपहरण :–** अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा :–

(1) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपन्तरित कर देता है।

(2) जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो तो निष्पादित नहीं करता।

(3) जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदो का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

(19) (1) करार तथा प्रतिभूति निक्षेप :–

(1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानो (स्टोर्स) के लिए निविदाऐं स्वीकार की गयी है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है 15 दिन के भीतर जमा करायी जायेगी।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी अग्रिम राशि को प्रतिभूति रकम के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा। प्रतिभूति रकम किसी भी दशा में अग्रिम राशि से कम नहीं होगी।

(3) विभाग द्वारा प्रतिभूति की रकम पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जायेगा।

(4) प्रतिभूति राशि के निम्नलिखित रूप होंगे :–

(क) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / राष्ट्रीय बचत पत्र , यदि उसे गिरवी रखा जा सकता हो।

(5) एक समय क्रय के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदो के अन्तिम प्रदाय से एक मास के भीतर तथा सान्तर परिदान के मामले में संविदा की संतोषप्रद समाप्ति के पश्चात् या गारन्टी कालावधि यदि कोई हो की समाप्ति के पश्चात् इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो तथा इस समाधान के कि निविदादाता के विरूद्व कोई भी राशि बकाया नहीं है, के दो मास पश्चात् प्रतिभूति रकम लौटा दी जायेगी।

(2) (1) निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानो के सम्बन्ध में जिनके लिये वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुक्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छुटी दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुप्रमाणित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की रकम प्रस्तुत किये जाने से मुक्त होंगे।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :— प्रतिभूति की रकम का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किसी निंबधन और शर्तो का भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से पूर्ण प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामलेमें उपयुक्त समय पर नोटिस दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में कग्र अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार के पूर्ण किये जाने तथा स्टाम्पिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जायेगा और विभाग को करार का सम्यक रूप से निष्पादित स्टाम्पित प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।

(20) मशीनों/उपकरणों की सप्लाई एवं स्थापना एफ.ओ.आर मूर्तिकला क्लस्टर भवन (सी.एफ.सी) तलवाडा, जिला बांसवाडा है।

(21) बीमा :—

(1) माल गंतव्य गोदाम पर पूर्णतः अच्छी स्थिति में परिदत्त किया जायेगा। प्रदाय यदि ऐसा चाहे, मूल्यवान माल का चोरी, विनाश या आग, बाढ द्वारा स्पष्टीकरण के साथ अर्थात (युद्ध, विद्रोह, बलवा आदि) से अन्यथा नुकसान के विरूद्व बीमा करवा सकेगा। बीमा प्रभार का वहन प्रदायक द्वारा किया जायेगा और ऐसे प्रभारो यदि उपगत किये गये हो का संदाय राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) यदि केता चाहे तो केता के व्यय पर भी वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम से या उसके समनुषंगी संस्थानों से कराया जाना चाहिए।

(22) संदाय :–

(i) *सामान्यतया कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। मशीनों/उपकरणो के पूर्णतया सप्लाई एवं स्थापना मूर्तिकला क्लस्टर भवन (सी.एफ.सी) तलवाडा, जिला बांसवाडा में किया जाकर उनके परिक्षण उपरान्त स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी मूर्तिकला क्लस्टर तलवाडा, जिला बांसवाडा द्वारा संतोषजनक परिणाम पाये जाने पर भुगतान हेतु अनुशंषा करने पर जिला उद्योग केन्द्र बांसवाडा द्वारा भुगतान किया जायेगा।*

(ii) यदि अग्रिम का संदाय कर दिया जाता है तो वह वित्तीय शक्तियों की विहित सीमा तक पूर्ण निरीक्षण यदि कोई हो तथा रेल/प्रतिष्ठित माल परिवहन कम्पनियों आदि द्वारा प्रेषण के प्रणाम पत्र के अध्ययीन होगा। अतिशेष, यदि कोई हो का संदाय परषेण की अच्छी स्थिति में इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ जो टिप्पण निविदादाता को दिये गये निरीक्षण टिप्पण पर पृष्ठांकित किया है, प्राप्त होने पर संदत्त किया जाएगा।

(iii) जब तक पक्षकारो के बीच अन्यथा सहमति न हो, भण्डारो के परिदान हेतु संदाय निविदादाता द्वारा क्रय अधिकारी को सा.वि. एवं ले. नियमके अनुसरण में समुचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत किये जाने पर किया जाएगा। समस्त प्रेषण व्ययों का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।

(iv) विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद के निपट जाने पर संदत्त कर दी जाएगी।

(v) उस माल के प्रकरण में संदाय, जिसके परीक्षण की आवश्यकता उसी समय किये जायेंगे, जब परीक्षण कर लिये जाये, प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाये जाये।

(23)

(1) निविदा प्ररूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय को संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल निविदादाता क्रय अधिकारी से फर्म आदेश की प्राप्ति पर कालावधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।

(2) निर्धारित नुकसान :– निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की मूल्य के मामले में उस भण्डार, जिसका प्रदाय करने में निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर वसूली की जायेगी।

(1)	(क)	विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब	2½ %
	(ख)	विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक, किन्तु आधी से अनधिक कालावधि तक का विलम्ब	5 %
	(ग)	विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु तीन चौथाई तक कालावधि का विलम्ब	7½%
	(घ)	विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक कालावधि का विलम्ब	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी, यदि वह आधे दिन से कम हो।

(3) निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदाय की पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उस प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा। जिसने प्रदाय आदेश दिया है किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात् नहीं।

(5) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदादाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढाया जा सकेगा।

(24) वसूलियां :– निर्धारित नुकसान, न्यून प्रदाय, टुट फुट, अस्वीकृत वस्तुओं के सम्बन्ध में वसूलियां सामान्यतः बिलो से की जाएगी। न्यून प्रदायन टुटफुट/ अस्वीकृत वस्तुओं की सीमा तक रकम भी रोकी जा सकेगी और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है तो निर्धारित नुकसान सहित वसूलियां विभाग में उपलब्ध उसकी बकाया से तथा प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूलियां संभव न हो राजस्थान लोक मांग वसूली के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

(25) यदि निविदादाता कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करता है, जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके प्रतिकूल है तो उसकी निविदा संक्षिप्त विचारण पर अस्वीकृति हेतु दायी होगी। जब तक की क्रय अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से वर्णित न हो, ऐसी कोई भी शर्त स्वीकृत की हुई नहीं समझी जाएगी।

(26) क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने का किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाये अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी अधिक वस्तुओं, जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदो को एक फर्म/प्रदायक की अधिक को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(27) निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) भागीदारी फर्मो के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपी ।

(2) यदि फर्म, फर्मो के रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और वर्ष।

(3) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन संख्यांक।

(4) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

(28) यदि संविदा के निर्वचन अर्थ तथा भंग के सम्बन्ध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रकरण को पक्षकारो द्वारा विभागाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने ऐसे वरिष्ठतम अधीनस्थ को विवाद के एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा, जो इस संविदा से सम्बन्ध नहीं होगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(29) समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में ही स्थित न्यायालयों में संस्थित की जाएगी, अन्यत्र नहीं।

(30) सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों की निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते लागु रहेगी।

अध्यक्ष
स्टोन आर्ट सोमपुरा सोसायटी
मुर्तिकला क्लस्टर तलवाड़ा
जिला बांसवाड़ा (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर